न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 27/2020

अपीलांट्स– | *बनाम* | **अप्रार्थीगण–**

1. प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल
2. मांगीलाल पुत्र अखैराज
3. मैनादेवी पत्नी मांगीलाल

जाति जैन निवासी बागावास ग्रा.पं. बागावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बालोतरा

निर्वाचन अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक : निर्वाचन/2020/221 दिनांक 19.02.2020 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा जिसके तहत अपीलांट्स के नाम जोड़ने से मना करने का पारित किया गया।

उपस्थिति :–
श्री पवनगिरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16/09/2020

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि आक्षेपकर्ता श्री कानाराम पुत्र श्री शिवाराम निवासी वार्ड सं. 05 ग्राम बागावास तहसील पचपदरा द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा के समक्ष प्ररूप–2 में आक्षेप प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट प्रदीप कुमार पुत्र मांगीलाल, मांगीलाल पुत्र अखैराज व मैना देवी पत्नी मांगीलाल का स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची वार्ड सं. 06 में क्रम संख्या 160, 161 एवं 172 का नाम हटाया जावें। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त प्रगणक द्वारा अपनी अभिशंषा सहित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा आक्षेप स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील संख्या 3/2020 इस न्यायालय के समक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत की गयी जिस पर सुनवाई उपरान्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा का आदेश अपास्त करते हुए निर्णय दिनांक 21.01.2020 द्वारा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि अपीलांट व आक्षेपकर्ता को नोटिस पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेकर नये सिरे से नियमानुसार आक्षेप का निस्तारण करने की कार्यवाही करें। इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई एवं तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट्स का बताये गये निवास स्थान पर निवास नहीं होने से ग्राम पंचायत बागावास के वार्ड संख्या 6 की मतदाता सूची में अपीलांट्स के नाम नियमानुसार जोड़ा जाना न्यायोचित नहीं मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2020 द्वारा आक्षेपकर्ता के आक्षेप स्वीकार किये गये। अपीलांट्स द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर पुनः यह अपील दिनांक 09.07.2020 को संयुक्त रूप से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया गया है।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम पर सर्वप्रथम सुनवाई कर विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा अपीलांट्स का नाम मतदाता सूची से पृथक करने के अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है तथा अपीलांट्स को अपने मत का प्रयोग करने के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया है। अपीलांट्स ग्राम पंचायत बागावास के मूल निवासी हैं जो करीब 80 वर्षों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निवास करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी अपीलांट्स के रहवासी मकान व खेत ग्राम बागावास में आये हुए हैं। अपीलांट्स के सभी राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिचय–पत्र, राशन–कार्ड व अन्य दस्तावेज ग्राम बागावास में बने हुए हैं। अपीलांट संख्या 1 के दादा अखैराज जी के नाम से कृषि भूमि एवं उसके लिये सहकारी किसान–कार्ड भी जारी है। अपीलांट संख्या 2 की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही है और सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक विचारशील व्यक्ति है जो सदैव अपने ग्राम के विकास के लिये तत्पर रहता है। अपीलांट संख्या 2 वर्ष 2000 में पंचायत समिति सदस्य रहा है एवं वर्ष 2005 व 2010 में सरपंच पद का चुनाव लड़ा है। अपीलांट्स का इस ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नही हैं। ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची 2020 के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक 04.12.2019 में वार्ड संख्या 6 क्रम संख्या 159 पर अपीलांट्स संख्या 1 के दादा अखैराज का नाम, क्रम संख्या 160 पर अपीलांट संख्या 2 का नाम, क्रम संख्या 161 पर अपीलांट संख्या 3 का नाम तथा क्रम संख्या 172 पर अपीलांट संख्या 1 का नाम दर्ज था। इसके पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को किया गया जिसमें अपीलांट्स के नाम विलोपित कर दिये गये। इस पर अपीलांट्स द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी व आक्षेपकर्ता को नोटिस व सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से आक्षेप का निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रकरण में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया [illegible] द्वारा अपीलांट्स के निवास स्थान के किसी भी पड़ौसी के बयान नहीं लिये व उनके द्वारा रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 पूर्णतया मनमाने तरीके से तैयार कर वास्तविक तथ्यों को उल्लेखित नहीं किया गया। ग्राम बागावास में अपीलांट्स के तीन आवासीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मकान एक ही स्थान पर निर्मित हैं जिसमें से एक मकान विद्यालय हेतु किराये पर दिया गया है, एक में किराना की दुकान संचालित है तथा एक मकान में अपीलांट्स परिवार सहित निवास करते हैं। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि श्री अखैराज पुत्र श्री छोगालाल का पुराना मकान है, यहां वर्तमान में परिवार नहीं रहता है जबकि अपीलांट्स संख्या 1 के दादा एवं दोनों भाइयों पीयूष कुमार और पंकज कुमार के नाम इसी वार्ड की मतदाता सूची में यथावत रखे गये हैं। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलांट्स ग्राम बागावास के मूल निवासी हैं किन्तु आते–जाते रहते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अस्पष्ट एवं मनमाने तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर राजनैतिक दबाव में आकर षडयंत्रपूर्वक तरीके से अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची से विलोपित किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि पूर्व में अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलांट्स के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के पारित एकपक्षीय आदेश को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर बहुत ही तल्ख टिप्पणी कर अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्वाचन संबंधी कार्यों से अलग रखे जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इससे अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलांट्स से द्वेष रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाये जावें एवं अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत बागावास की मतदाता सूची मे यथावत रखे जाने का आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने अपीलांट्स [illegible] किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा का मूल अपीलाधीन अभिलेख राज्य निर्वाचन आयोग में विचाराधीन शिकायत प्रकरण में भिजवाया जाना अवगत

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

कराया एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाई गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 प्राप्त की गई। अपीलांट्स को जरिये नोटिस दिनांक 03.02.2020 जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य सबूत एवं पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अपीलांट्स द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.02.2020 को बयान दर्ज कराए एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांट्स के साथ–साथ अन्य पड़ौसियान, क्षेत्र के बीएलओ, भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि के बयान दर्ज किये गये एवं दिनांक 13.02.2020 को मौका निरीक्षण किया जाकर मौका फर्द मुर्तिब की गई। अपीलांट्स का कथन है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट एवं वास्तविक स्थिति में विरोधाभास है, जहां एक ओर जांच अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया है कि अखैराज पुत्र छोगालाल का पुराना मकान ग्राम बागावास में आया हुआ है किन्तु वर्तमान में परिवार नहीं रहता है जबकि मतदाता सूची वार्ड संख्या 6 के क्रम संख्या 159 पर अखैराज, क्रम संख्या 171 पर पंकज कुमार व क्रम संख्या 173 पर पीयूष कुमार के नाम यथावत रखे गये हैं। इस प्रकार यदि अखैराज का परिवार अर्थात अपीलांट्स ग्राम बागावास में निवास नहीं करता है तो उनके आधे सदस्यों के नाम मतदाता सूची से विलोपित करना एवं आधे सदस्यों के नाम यथावत रखा जाना कतई तर्कसंगत एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशन–कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार–कार्ड, भामाशाह–कार्ड, जमाबंदी, मतदाता परिचय–पत्र इत्यादि ग्राम बागावास के पेश किये हैं जिनका अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है और न ही जांच अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों के बारे में अपनी रिपोर्ट कोई निष्कर्ष दिया गया है। ऐसे में इस न्यायालय के द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की गई है तथा सरसरी कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्पन्न कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा ग्राम पंचायत बागावास के वार्ड सं. 6 की मतदाता सूची के क्रम संख्या 160 पर मांगीलाल, क्रम संख्या 161 पर मैना देवी एवं क्रम संख्या 172 पर प्रदीप कुमार के नाम विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2020 अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत समिति पाटोदी) तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट्स एवं आक्षेपकर्ता को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते एवं साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेते हुए नये सिरे से नियमानुसार आक्षेपों का निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

6. निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested